फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तेजा बनाम विपक्षी : श्री देवा व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 135/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक :19.12.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण में बहस सुने अधिक समय हो जाने से मजीद बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 देवा का 1/4 हिस्सा, स्व. कसना पुत्र खेमा का 1/4 हिस्सा तथा स्व. नाथु पुत्र नानजी का 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अंकित हैं जो कि वक्त नवीन सेटलमेंट के बाद गलती से पक्षकारों के गलत हिस्सा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी तेजा का 1/3 हिस्सा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिये था तथा विपक्षी संख्या 1 देवा का 2/9 हिस्सा, स्व. कसना का 2/9 हिस्सा तथा स्व. नाथु का 2/9 हिस्सा होकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिये था। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात को प्रार्थी व विपक्षीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 13.09.1972 को क्रय किया जिसमें प्रार्थी तेजा ने 1/3 हिस्सा व विपक्षी नाथु पिता नानजी, कसना पिता खेमा और देवा पिता वीरा ने 2/9 हिस्से के हिसाब से उक्त भूमि खरीदी। अतः प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का गलत हिस्सा अंकित होने से उसे शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 6 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि को प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पिता नाथुजी, कसना और विपक्षी देवा ने मिल कर संयुक्त रूप से बराबर पैसे अदा कर क्रय की थी परन्तु प्रार्थी तेजा द्वारा षडयन्त्र पुर्वक विपक्षीगण के पिता नाथुजी, कसना और देवा को अन्धेरे में रख कर स्वयं का उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा अंकित करा दिया और नाथु, कसना और देवा के नाम 2/9 हिस्सा अंकित करा रजिस्ट्री कराई गई। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कराये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भमेला के साविक खसरा न. 164/3 रकबा 21–17 बीघा भूमि खातेदार किशनसिंह नटवरसिंह पिता गोवर्धन सिंह राजपुत निवासी कुण्डई द्वारा नामान्तरकरण सं. 48 दिनांक 01.12.1972 बेचान से श्री तेजी पिता धन्ना डांगी, नाथु पिता नानजी डांगी, कसना पिता खेमा डांगी, देवा पिता वीरा डांगी सा. देह हि.ब. के नाम दर्ज हुआ था। नामान्तरकरण सं. 48 के अनुसार ही जमाबन्दी में भी इसका अमल दरामद किया जाकर सम्वत् 2031–34 के खाता सं. 11 पर खातेदार तेजी पिता धन्ना डांगी, नाथु पिता नानजी डांगी, कसना पिता खेमा डांगी, देवा पिता वीरा डांगी सा. देह हि.ब. का नाम दर्ज किया गया। जिसके अनुसार जमाबन्दी के अग्रिम रोटशन बनते गए तथा सम्वत् 2052–55 तक इन्ही खातेदारों का नाम खसरा न. 164/3 रकबा 21–17 बीघा में दर्ज चला आ रहा था। यह कि वक्त सेटलमेंट भी उक्त नामा. सं. 48 अनुसार नवीन खाता [illegible] जमाबन्दी संवत् 2078–81 ग्राम भमेला प.म. कुण्डई के खाता सं. 25 में खसरा [illegible] 226, 227, 259, 260, 261, 262, 263 किता 7 रकबा 4.52 है. में खातेदार तेजी पिता धन्ना 1/4 डांगी, नाथू पिता नानजी 1/4 डांगी, कसना पिता खेमा 1/4 डांगी, देवा पिता [illegible] 1/4 डांगी सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 18:53:41 IST
Reason: SelfAttested

है जो कि वर्तमान में प्रचलित है। प्रार्थी द्वारा उप पंजीयक भीण्डर द्वारा दिनांक 13.09.1972 को पंजीकृत हि.ब.का नाम दर्ज किया गया जिसके अनुसार जमाबन्दी के अग्रिम रोटशन बनते गए तथा सम्वत् 2052–55 तक इन्ही खातेदारों का नाम खसरा न. 164/3 रकबा 21–17 बीघा में दर्ज चला आ रहा था। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि उप पंजीयक भीण्डर द्वारा दिनांक 13.09.1972 को पंजीकृत विक्रय पत्र में क्रेता तेजा पिता धन्ना डांगी 1/3 नाथु पिता नानजी डांगी, कसना पिता खेमा डांगी, देवा पिता वीरा डांगी हिस्सा 2/3 सा. देह अनुसार हिस्सा क्रय किया गया था किन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दायर करते समय नामा. स. 48 में सभी खातेदारों को हिस्सा हि.ब. लिखा गया तथा तेजा पिता धन्ना डांगी का नाम तेजी पिता धन्ना दर्ज किया गया जिसके कारण आज दिनांक तक उक्तानुसार नाम तथा हिस्से दर्ज चले आ रहें थे तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 25 पर तेजी पिता धन्ना 1/4 डांगी नाथु पिता नानजी 1/4 डांगी कसना पिता खेमा 1/4 डांगी देवा पिता वीरा 1/4 डांगी देवा पिता वीरा 1/4 डांगी सा. देह के नाम दर्ज हैं।

प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति व दस्तावेज पेश किये जिसके अवलोकन से पाया कि विक्रय पत्र में क्रेता तेजा पिता धन्ना 1/3 व नाथु पिता नानजी, कसना पिता खेमा, देवा पिता वीरा 2/3 हिस्से के हिसाब से क्रय किया गया हैं किन्तु नामान्तरण संख्या 48 पारित करते समय तेजा का नाम तेजी कर दिया गया था तथा उक्त क्रेता तेजा पिता धन्ना, नाथु पिता कसना, कसना पिता खेमा, देवा पिता वीरा के हिस्से को हिस्सा बराबर दर्ज कर दिया गया जो त्रुटि पूर्ण हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि विक्रय पत्र में क्रेता तेजा पिता धन्ना डांगी 1/3, नाथु पिता नानजी डांगी, कसना पिता खेमा डांगी, देवा पिता वीरा डांगी हिस्सा 2/3 सा. देह अनुसार हिस्सा क्रय किया गया था किन्तु उक्त विक्रय पत्र का नामान्तरकरण दायर करते समय नामा. स. 48 में सभी खातेदारों को हिस्सा हि.ब. लिखा गया तथा तेजा पिता धन्ना डांगी का नाम तेजी पिता धन्ना दर्ज किया गया जिसके कारण आज दिनांक तक उक्तानुसार नाम तथा हिस्से दर्ज चले आ रहें थे तथा वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 में खाता संख्या 25 पर तेजी पिता धन्ना 1/4 डांगी नाथु पिता नानजी 1/4 डांगी कसना पिता खेमा 1/4 डांगी देवा पिता वीरा 1/4 डांगी देवा पिता वीरा 1/4 डांगी सा. देह के नाम दर्ज हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2, 6 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिससे विपक्षी संख्या 2, 6 द्वारा अपने जवाब में कहे गये कथन आधारहीन हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भमेला पटवार हल्का कुण्डई तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 25 में अंकित खातेदार तेजी पुत्र धन्ना डांगी के बजाय तेजा पुत्र धन्ना डांगी दर्ज किये जाने साथ ही खाता संख्या नया 25 में अंकित खातेदारों के हिस्से को संशोधित करते हुये कसना पुत्र खेमा डांगी हिस्सा 1/4, तेजी पुत्र धन्ना डांगी हिस्सा 1/4, देवा पुत्र वीरा डांगी हिस्सा 1/4, नाथु पुत्र नानजी डांगी हिस्सा 1/4 के बजाय कसना पुत्र खेमा डांगी हिस्सा 2/9, तेजा पुत्र धन्ना डांगी हिस्सा 1/3, देवा पुत्र वीरा डांगी हिस्सा 2/9, नाथु पुत्र नानजी डांगी हिस्सा 2/9 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सु[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 13:53:41 IST
Reason: SelfAttested